उर्ज

Form NO III

2018/00177

1

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

दौलतराम बनाम पैमाराम

प्रकरण संख्या– 14/18 अन्तर्गत 251ए आर.टी.एक्ट. बाबत रास्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
11.9.18	प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 78 में प0न0 312/399(11) व प0न0 313/399(12) में 1.594हैक भूमि मैना वगैरह के नाम से दर्ज है एव इसी चक के खाता संख्या 98/86 में प0न0 312/400(24) में दानाराम आदि के नाम से दर्ज है तथा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/400(24) किला न0 1 ता 3 ,8 में पैमाराम आदि के नाम से दर्ज है। दोनो पक्षकार आपसी सहमति से रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/400(24) किला न0 1/0.013 ,2/.013 ,3/0.013 ,8/0.013 कुल 0.052हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है इसी रास्ते से सदामत से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण /अप्रार्थीगण दोनो ही खातेदार काश्तकार है तथा दोनो ही पक्षकार आपसी सहमति से रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/400(24) किला न0 1 ता 3 ,8 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है एवं रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देना प्रस्तावित है वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश विवाद नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व एक दुसरे के समीपस्त है प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण आपसी सहमति से अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है आपसी सहमति से खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 312/400(24) के किला न0 1 /0.013 ,2/0.013हैक दक्षिणी तरफ व किला न0 3/0.013 ,8/0.013हैक पश्चिम तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता है व रास्ते की भूमि के बदले में खाता न0 78 के खातेदार मैना पत्नि महावरी आदि अपनी भूमि के प0न0 312/399(11) किला न0 18 के उतरी तरफ से 1 बिश्वा भूमि खाता संख्या 58 के खातेदार काश्तकार पेमाराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी को देगे व खाता न0 97 के खातेदार दानाराम पुत्र हजारीराम नायक अपनी भूमि के प0न0 312/400(24) किला न0 19 के उतरी तरफ से 1 बिश्वा भूमि खाता संख्या 62 के खातेदार प्रेमलता पुत्री रामदयाल बावरी को देगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को जारी किया जाकर पत्रावली दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। SAZaidi	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official